न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 02/2022

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पिण्डवाडा जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

श्री मीठा पुत्र श्री सांकला जाति कुम्हार निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (तहसीलदार, सिरोही)

निर्णय

दिनांक 09.11.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा वासा, पटवार मण्डल वासा तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 939 नया खसरा नम्बर 939/8 रकबा 0.01 बीघा किस्म गे.मु.तालाब भूमि आई हुई है, जिसे तहसीलदार पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक/87/1561 दिनांक 14.10.1987 के द्वारा अप्रार्थी श्री मीठा पुत्र श्री सांकला जाति कुम्हार निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को वाडा नियमन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 652 द्वारा अप्रार्थी के नाम दर्ज की गई, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी की ओर से इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामिली उपरान्त भी किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। पूर्व में अप्रार्थी को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके थे। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया गया एवं न ही अप्रार्थी द्वारा बहस हेतु नियत तिथि पर किसी भी प्रकार की कोई उपस्थि[illegible]। अतः अप्रार्थी अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही [illegible] की बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा न. 939 नया खसरा नम्बर 939/8 रकबा 0.01 बीघा किस्म गे.मु.तालाब भूमि का आवंटन अप्रार्थी श्री मीठा पुत्र श्री सांकला जाति कुम्हार निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है । आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है। अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं था। आवंटित भूमि पर उसका एवं उसके देहान्त के पश्चात अप्रार्थीयान का कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा वासा, पटवार मण्डल वासा, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 939 नया खसरा नम्बर 939/8 रकबा 0.01 बीघा किस्म गे.मु.तालाब भूमि आई हुई है, जिसे तहसीलदार पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक/87/1561 दिनांक 14.10.1987 के द्वारा अप्रार्थी श्री मीठा पुत्र श्री सांकला जाति कुम्हार निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को वाडा नियमन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 652 दर्ज किया गया। यह है कि पटवारी हल्का वासा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त आंवटित आराजी पर अप्रार्थी का आवंटन तिथि से आज तक कब्जा नहीं है एवं मौके पर भूमि खाली पडी है। यह है कि अप्रार्थी के नाम राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तो की पालना नही करने पर आवंटन निरस्त करने का नियमो में प्रावधान है। विचारणीय प्रकरण में लम्बे समय से अप्रार्थीयान द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त कर कब्जा नही किया है नियम 14 (3) के तहत उसे प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी । उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है। विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थीयान द्वारा कब्जा कर काश्त किया जाना नही पाया जाता । यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा की गई मौका रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौके पर कब्जा नही है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीयान को किसी तरह की कोई राहत दी जाना विधि संगत नही होगा। यह है कि उक्त आवंटन जल ग्रहण क्षेत्र गे.मु.तालाब में किया गया है जो डी.बी.सिविल जनहित याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णयानुसार आवंटन हेतु प्रतिबन्धित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा वासा, पटवार मण्डल वासा, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 939 नया खसरा नम्बर 939/8 रकबा 0.01 बीघा किस्म गे.मु.तालाब भूमि आई हुई है, जिसे तहसीलदार पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक/87/1561 दिनांक 14.10.1987 के द्वारा अप्रार्थी श्री मीठा पुत्र श्री सांकला जाति कुम्हार निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को वाडा नियमन की गई [illegible] किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:50 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner